[1994] 4 उम० नि० प० 191

टी० एम० ए० पई फाउंडेशन और अन्य

बनाम

कर्नाटक राज्य और अन्य

7 अक्तूबर, 1993

न्या० एस० रत्नवेल पांडियन, न्या० एस० सी० अग्रवाल, न्या० एस० मोहन, न्या० बी० पी० जीवन रेड्डी और न्या० एस० पी० भरूचा

संविधान, 1950, अनुच्छेद 30(1) और 29(2)—प्रतिव्यक्ति फीस—अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था को संयुक्त/सामान्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर बनाए गए सामान्य योग्यता पूल से सामान्य प्रवर्ग और अल्पसंख्यक प्रवर्ग के छात्रों को दोनों प्रवर्गों में योग्यता के आधार पर लेने की आवश्यकता पर बल—राज्य/संबद्धक विश्वविद्यालय द्वारा ऋजुता और स्तर के अनुरक्षण के हित में प्रवेश प्रक्रियाओं का विनियमन आवश्यक है।

संविधान, 1950, अनुच्छेद 32,21 और 14—प्रतिव्यक्ति फीस—अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं की केरल राज्य में स्थिति—संस्थाओं का स्वरूप—क्या वे अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाएं हैं या नहीं का राज्य सरकार द्वारा अवधारण न किया जाना—संस्थाओं द्वारा अपनी प्रवेश क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक क्रमिक अल्पसंख्यक समुदायों से छात्रों को पहले ही प्रवेश दिया जाना—पहले ही किए जा चुके प्रवेशों में इस प्रक्रम पर हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए—किंतु उनका दावा कि वे अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाएं थी, कि पुष्टि/स्वीकार न किया जाना क्योंकि यह राज्य के शिक्षा विभाग के सचिव द्वारा उन्हें अभ्यावेदन करने का अवसर देने के पश्चात् अवधारित किया जाएगा—विनिश्चय अगले शैक्षिक सत्र से लागू होगा—सरकार को शेष 25 प्रतिशत स्थानों को तुरंत ही छात्रों को आबंटित किए जाने का निदेश दिया जाना—उन छात्रों की शिकायत का निवारण (दूर) करने के लिए निर्देश जारी किए जाना जिनके प्रवेश की आशाएं, संस्थाओं की प्रास्थिति का अवधारण करने में हुए विलम्ब से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई थीं।

संविधान, 1950, अनुच्छेद 32, 21 और 14—प्रतिव्यक्ति फीस—कर्नाटक राज्य में प्राइवेट इंजीनियरिंग विद्यालयों की स्थिति—समुचित प्राधिकारियों को न्यायालय के आदेशों और राज्य सरकार द्वारा विरचित किए गए नियमों के अनुसार तारीख 30 नवम्बर 1993 को या उससे पूर्व निःशुल्क स्थानों और संदाय स्थानों (प्रवासी भारतीयों/विदेशी छात्रों के लिए आरक्षित 15 प्रतिशत स्थानों को छोड़ते हुए) के संबंध में आबंटन करने का निदेश दिया जाना—तारीख 1 दिसम्बर, 1993 को रिक्त शेष स्थानों को प्रबंधतंत्र द्वारा भरा जा सकता है।

संविधान, 1950, अनुच्छेद 30—अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था—छात्रों के चयन की अपनी स्वयं की रीति अंगीकृत करने की शक्ति से सशक्त नहीं है—यह संस्था के अल्पसंख्यक स्वरूप का भाग नहीं है—उक्त अध्यपेक्षा विनियम का भाग है, जो कि राज्य/सम्बद्धकारी विश्वविद्यालय ऋजुता के हित में और स्तर को बनाए रखने के लिए विहित कर सकता है। संविधान, 1950, अनुच्छेद 32, 21, 14 और 144—प्रतिव्यक्ति फीस—1993-94 सत्र के लिए प्राइवेट आयुर्विज्ञान, दंत और नर्सरी विद्यालयोंमें संदाय स्थानों के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा फीस संरचना निर्दिष्ट किया जाना—इस फीस संरचना का अनंतिम होना और केन्द्रीय सरकार और समुचित केन्द्रीय निकाय द्वारा तैयार की गई फीस संरचना के अनुसार समायोजन को दायी होना—प्राइवेट आयुर्विज्ञान विद्यालयों में 50 प्रतिशत स्थानों पर विदेशी छात्रों को प्रवेश देने की पद्धति अब और अधिक अनुज्ञेय नहीं है—विदेशी छात्रों को प्रवेश के लिए कोई रियायत न दिया जाना, जिनकी अग्रिम फीस उन्नीकृष्णन वाले मामले में आदेश से पूर्व संग्रहीत की गई थी तथापि अप्रवासी भारतीयों और विदेशी छात्रों के लिए कोटा केवल वर्तमान सत्र (1993-94) के लिए 15 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना—यदि अप्रवासी भारतीयों/विदेशी छात्रों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है तो 15 प्रतिशत का उक्त कोटा प्रबंधतंत्र द्वारा केवल सत्र 1993-94 के लिए अपनी रूचि के छात्रों से भरा जा सकता है।

प्रस्तुत मामले में विभिन्न राज्यों में प्राइवेट वृत्तिक विद्यालय में फीस के स्वरूप के सम्बन्ध में आदेशों के लिए और अन्य समुचित आदेशों के लिए ईप्सा की गई है। प्राइवेट

वृत्तिक विद्यालयों के प्रबंध मण्डलों ने मांग की कि उन्हें, अपनी इच्छा के 50 प्रतिशत छात्रों को प्रवेश देने को अनुज्ञप्त किया जाना चाहिए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कोई युक्ति-युक्त मार्ग निकालने में पक्षकारों की असफलता की दशा में, न्यायालय जे० पी० उन्नीकृष्णन् बनाम आंध्र प्रदेश राज्य वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को लागू करने के लिए कठोर अध्युपायों को अंगीकृत करने और इस निमित्त अन्य आदेशों को करने को बाध्य होगा। भारत संघ की ओर से दलील दी गई कि उन्नीकृष्णन वाले मामले में निर्णय के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद् और अन्य समान निकायों ने फीस संरचना का अवधारण करने के लिए तुरंत कार्रवाई आरंभ की है। उन्होंने, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की उप-समिति की तारीख 12 अप्रैल, 1993 को आयोजित बैठक की कार्यवाहियों और अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद् द्वारा फाइल किए गए शपथ पत्र को उच्चतम न्यायालय के समक्ष रखा। इंजीनियरिंग विद्यालयों के सम्बन्ध में विद्वान महासालिलिटर ने उल्लिखित किया कि यद्यपि ए० आई०सी० आई० ई० ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, यह शीघ्र ही विभिन्न राज्यों के लिए शैक्षिक वर्ष 1994-95 से प्रभावी युक्तियुक्त और एक सी फीस संरचना विहित करते हुए विनियमों को जारी करेगा। उन्होंने दलील दी कि इस वर्ष के लिए उच्चतम न्यायालय, केन्द्रीय सरकार और/या समुचित परिषद्/प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से नियतन किए जाने के अनुसार समायोजित किए जाने वाली प्रायोगिक फीस नियत कर सकता है। विद्वान महासालिसिटर ने आश्वासन दिया कि केन्द्रीय सरकार उन्नीकृष्णन वाले मामले में दिए गए निर्णय के पूर्ण क्रियान्वयन के प्रति पूर्णतया कृत संकल्प है और उक्त निर्णय के क्रियान्वयन के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा उठाए गए किन्हीं कदमों को भारत संघ का बिना शर्त समर्थन मिलेगा। प्रबंध मण्डलों ने यह दलील दी कि जब तक उन्हें अपनी रूचि के छात्रों के 50 प्रतिशत को प्रवेश देने को अनुज्ञप्त नहीं किया जाता, वे वृत्तिक विद्यालयों को नहीं खोलेंगे और वे उन्हें बंद करना उचित समझते हैं। यह दलील दी गई कि प्राइवेट प्रबंध मण्डलों के रास्ते में वास्तविक कठिनाई यह थी कि कर्नाटक राज्य और तमिलनाडु राज्य की सरकारों द्वारा नियत की गई फीस, अव्यवहार्य और अपर्याप्त थी। काउंसेल ने दलील दी कि उक्त फीस के साथ विद्यालयों को चलाना संभव नहीं था। उन्होंने प्रवेश मामलों में स्कीम में अंतर्विष्ट अनेक निदेशों का अनुपालन करने में संबंधित सरकारों द्वारा निष्क्रियता और विलम्ब करने को जिम्मेदार ठहराया। यह दलील दी गई कि भारत सरकार ने देश में प्राइवेट आयुर्विज्ञान विद्यालयों को प्रत्येक वर्ष की अपनी प्रवेश देने की क्षमता के 30 प्रतिशत तक विदेशी छात्रों को प्रवेश देने को अनुज्ञप्त किया था और उक्त सीमा वर्ष 1991 में 50 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई थी। उन्होंने दलील दी कि अधिकतर विदेशी छात्र मलेशिया से हैं और भारत सरकार और मलेशिया सरकार के मध्य इस बाबत एक राय थी कि मलेशिया से काफी बड़ी संख्या में छात्र लगभग 40 से 50,000/- अमरीकी डालरों के संदाय पर भारत में प्राइवेट आयुर्विज्ञान विद्यालयों में प्रवेश दिए जाएंगे। यह कथन किया गया कि अधिकतर छात्र, डा० टी० एम० ए० पई फाउंडेशन द्वारा मनीपाल और मैंगलोर में चलाए जा रहे विद्यालयों को वरीयता (अधिमान) देते हैं और प्रवेश दिए जाते हैं। उनमें से कुछ बैंगलोर और बेलगाम स्थित विद्यालयों में भी प्रवेश दिए जाते हैं। दलील दी गई कि जबकि, दोनों सरकारों के मध्य ऐसा कोई करार नहीं है, यह भारत सरकार द्वारा मलेशिया सरकार को दिया गया एक आश्वासन था। दलील दी गई

कि चालू वर्ष (शैक्षिक सत्र 1993-94) के लिए यथास्थिति बनाई जा सकती है। यह दलील दी गई कि शैक्षिक सत्र 1994-95 तक सरकार इस निमित्त एक निश्चित और स्पष्ट नीति तैयार कर लेगी। उन्होंने बताया कि के० एम० सी० विद्यालय, मेंगलोर, में केवल 125 स्थान वर्तमान रिट याचिका की विषयवस्तु हैं। अल्पसंख्यक संस्थाओं और गैर-अल्पसंख्यक संस्थाओं के मध्य विभेदकारी व्यवहार की शिकायत की। रिट याचिकाओं का तदनुसार निपटारा करते हुए,

अभिनिर्धारित—न्यायालय सभी राज्यों में इन विद्यालयों के लिए फीस नियत करने को अंतिम रूप से आनत है। यह स्पष्ट किया जाता है कि न्यायालय द्वारा यहां इसमें नियत की गई फीस, प्रकृति में केवल अस्थायी और अनन्तिम है और केन्द्रीय सरकार और/या समुचित केन्द्रीय निकाय जैसा कि मामला हो, द्वारा तैयार की गई फीस संरचना के अनुसार समायोजित किए जाने को दायी है। न्यायालय द्वारा नियत की गई रूपरेखा कोई उपदर्शन नहीं है और किसी सरकार या प्राधिकारी द्वारा नियमित आधार पर फीस संरचना नियत करने में ऐसी नहीं समझी जाएगी। (पैरा 19)

परिस्थितियां और कारण चाहे जो कुछ भी रहे हों जिनके लिए भारत सरकार ने प्राइवेट आयुर्विज्ञान विद्यालयों को पूर्वोक्त सीमा तक विदेशी छात्रों को प्रवेश देने को अनुज्ञप्त किया था, यह स्पष्ट है कि उक्त अनुज्ञा या व्यवस्था प्रवर्तनीय नहीं है और उन्नीकृष्णन वाले मामले में निर्णय को देखते हुए शैक्षिक सत्र 1993-94 से लागू नहीं की जा सकती। स्वीकृतत: स्वयं देश के भीतर इन स्थानों की अत्यंत आवश्यकता है और यह वे हैं जिन्हें इन विद्यालयों में प्रवेश के मामले में अग्रता होनी चाहिए। (पैरा 21)

न्यायालय का यह मत है कि विद्वान महाधिवक्ता द्वारा उठायी गई आपत्ति पूर्णरूप से विधिसम्मत है और उसे कार्यरूप दिया जाना चाहिए। इस संबंध में कोई कारण नहीं था कि याची ने विदेशी छात्रों से फरवरी, 1993 से भी पूर्व, उनको शैक्षिक सत्र 1993-94 (माह जुलाई/अगस्त, 1993 में किसी समय आरंभ हुए) के लिए प्रवेश देने का वायदा करते हुए उनसे फीस क्यों प्राप्त की थी। वास्तव में, याची द्वारा प्रस्तुत की गई विशिष्टियों के अनुसार उसने छात्रों से उनको प्रवेश देने का वायदा करते हुए न केवल शैक्षिक सत्र 1993-94 अपितु 1994-95 के लिए भी फीस की राशियां प्राप्त की थीं। हम इस कृत्य के लिए कोई न्यायोचित्य नहीं पाते हैं और यदि याची ऐसे कृत्य के कारण अपने हित के प्रतिकूल किसी बात को भोगता है, तो उसे उसके लिए स्वयं को उत्तरदायी ठहराना चाहिए। इसलिए, न्यायालय 1993 की रिट याचिका संख्या 317 में याची के मामले में कोई विशेष आदेश पारित करने को आनत नहीं हैं। (पैरा 24)

सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और पहले ही व्यतीत हो चुके समय और समय के दबाव को देखते हुए, हमारा यह मत है कि प्राइवेट वृत्तिक (व्यावसायिक) विद्यालयों को इस वर्ष के लिए प्रवेश देने की क्षमता के 15 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक प्रवासी भारतीयों और विदेशी छात्रों को प्रवेश देने को अनुज्ञात करना उचित होगा। दूसरे शब्दों में, 1993 की पुनर्विलोकन याचिकाओं इत्यादि में तारीख 14 मई, 1993 के आदेश में प्रवासी भारतीयों के लिए किया गया 5 प्रतिशत की सीमा का उपबंध, 15 प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाएगा और प्रवासी भारतीयों और इसी भांति विदेशी छात्रों के चयन और प्रवेश

के लिए आधार वही होंगे जैसे कि पुनर्विलोकन याचिका संख्या 482/93 इत्यादि में तारीख 14 मई, 1993 के इस न्यायालय के आदेश में इंगित किए गए हैं। तथापि, यदि प्रवासी भारतीय/विदेशी छात्र, उनके लिए तात्पर्यित उक्त सभी 15 प्रतिशत स्थानों को भरे जाने के लिए उपलब्ध नहीं हैं तो, प्रबंध मण्डल को उक्त कोटा के अंतर्गत अन्य छात्रों को प्रवेश देने की स्वतंत्रता होगी। यह आवश्यक नहीं होगा कि उक्त 15 प्रतिशत कोटा के अंतर्गत प्रवेश दिए गए छात्र, सरकार द्वारा आरक्षित (आबंटित) होने चाहिए या उन्होंने संबंधित सरकार या प्राधिकारी द्वारा आयोजित की गई संयुक्त प्रवेश परीक्षा, यदि कोई हो, को दिया हो। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह विशेष उपबंध केवल इस वर्ष के लिए बनाया गया है जो कि संक्रमण का वर्ष है। न्यायालय द्वारा किया गया अवधारण समायोजन के अध्यधीन, केवल प्रायोगिक और अनंतिम है जब भारत सरकार या सम्बंधित सर्वोच्च वृत्तिक परिषद, नियमित आधार पर फीस संरचना को नियत करती है। (पैरा 25 और 26)

प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि न्यायालय द्वारा नियत की गई फीस नितांत उच्च है, किंतु यह वास्तव में सही नहीं है। प्रथमतया, यह केन्द्रीय सरकार और/या संबंधित केन्द्रीय परिषदों द्वारा फीस संरचना के नियमित अवधारण पर समायोजन के अध्यधीन केवल एक अनंतिम नियतन है। दूसरे, संदाय स्थान केवल आधे हैं और यह वे हैं जिन्हें विद्यालय द्वारा उपगत किए गए खर्च के सम्पूर्ण भार को सहना है, योग्यता के आधार पर प्रवेश दिए गए निःशुल्क छात्रों द्वारा संदाय की गई फीस केवल एक नाममात्र की फीस है। इस वर्ष में संदत्त की गई कोई भी अधिकता बाद के वर्षों में सदैव समायोजित की जा सकती है। (पैरा 33)

यह निदेश दिया जाता है कि उन्नीकृष्णन वाले मामले में प्रतिपादित की गई स्कीम के खण्ड (7) में निर्दिष्ट की गई और खण्ड (5) द्वारा उपबंध की गई बैंक गारंटी या नकद जमा की अपेक्षा का विलोप हो जाएगा। यह विलोपन, "अल्पसंख्यक वृत्तिक विद्यालयों" और इसी भांति "गैर-अल्पसंख्यक विद्यालयों" दोनों के लिए प्रभावी है। (पैरा 34)

उन्नीकृष्णन वाले मामले और पश्चात्‌वर्ती आदेशों में दिए गए निदेशों को लागू किया जाएगा और सभी वृत्तिक विद्यालयों में निःशुल्क स्थानों और संदाय स्थानों पर तारीख 31 अक्तूबर, 1993 को या उसके पूर्व छात्रों को प्रवेश दिए जाएंगे। राज्य सरकार पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए तुरंत और प्रभावी कदम उठाएगी। केन्द्रीय सरकार यदि आवश्यक हो, संविधान के अनुच्छेद 144 को ध्यान में रखते हुए समुचित निदेशों को जारी करते हुए उसके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी। यदि, कोई वृत्तिक विद्यालय उक्त आदेशों और निदेशों का पालन करने से इंकार करता है तो संबंधित राज्य सरकार समुचित आदेशों के लिए तुरंत ही इस न्यायालय के ध्यान में इस बात को लाएगी। (पैरा 36)

जब तक अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था को योग्यता सूची की उपेक्षा करते हुए 50 प्रतिशत की सीमा तक उक्त अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित छात्रों को प्रवेश देने को अनुज्ञप्त किया जाता है, हम ऐसा कोई कारण नहीं पाते हैं कि राज्य/सम्बद्धकारी विश्वविद्यालय यह शर्त क्यों नहीं रख सकते कि सामान्य छात्र और इसी भांति अल्पसंख्यक छात्र, सभी को केवल सामान्य योग्यता पूल से लिया जाना चाहिए और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को भी अन्य बातों के अलावा सामान्य/संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर अवधारित योग्यता के आधार

पर प्रवेश दिया जाना चाहिए। न्यायालय के मत में अनुच्छेद 30, किसी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था को छात्रों के चयन की अपनी स्वयं की रीति अंगीकृत करने की शक्ति से सशक्त नहीं करता है। यह संस्था के अल्पसंख्यक स्वरूप का भाग नहीं है। अपितु उक्त अध्यपेक्षा विनियम का भाग है जो कि राज्य/सम्बद्धकारी विश्वविद्यालय ऋजुता के हित में और स्तर को बनाए रखने के लिए विहित कर सकता है। अल्पसंख्यक संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश को रोकने वाले तारीख 24 सितम्बर, 1993 के आदेश को रद्द किया जाता है। (पैरा 37)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[1993]	(1993) 1 एस० सी० सी० 645 : **जे० पी० उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य ;**	1
[1992]	(1992) 1 एस० सी० सी० 558 : **सेंट स्टीफंस विद्यालय बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय।**	37

आरम्भिक (सिविल) अधिकारिता : **रिट याचिका (सिविल) सं० 317/1993 के साथ रिट याचिका (सिविल) सं० 442/93, 327/93, 350/93, 613/93, 463/93, 627/93, 597/93, 536/93, 598/93, 626/93, 444/93, 417/93, 523/93, 474/93, 485/93, 484/93, 355/93, 525/93, 469/93, 392/93, विशेष इजाजत याचिका (सिविल) संख्या 14437/93 में अंतरिम आवेदन सं० 2 और 3/93, रिट याचिका (सिविल) संख्या 629/93, 399/93, 571/93, 531/93, 603/93, सिविल आवेदन सं० 927/93 में अंतरिम आवेदन सं० 3, 4-8/93, रिट याचिका (सिविल) संख्या 702/93, 585/93, 628/93, 663/93, 284/93, 555/93, 343/93, 596/93, 660/93, 407/93 के साथ 482/93 की भी सुनवाई की गई।**

संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन फाइल की गई रिट याचिकाएं।

उपस्थित पक्षकारों की ओर से दीपांकर गुप्ता, अपर महासालिसिटर, हरीश साल्वे, आर०के० गर्ग, सुशील कुमार, कपिल सिब्बल, अनिल बी० दीवान, सोली जे० सोराबजी, एस० शिवब्रमण्यम, वाई०एच० मुछाला, के० पारासरन, सी० एस० वैद्यनाथन, संतोष हेगड़े, जोसफ वलापुट्टी, एफ०एस० नारीमन, एन०एन० गोस्वामी, ज्येष्ठ अधिवक्तागण, बी० वी० आचार्य, महान्यायवादी डा० रोक्सना,

एच० एल० टिक्कू, कैलाश वासदेव, सुश्री अल्पना पोद्दार, रवि वाधवानी, अशोक ग्रोवर, राजू रामचंद्रन, एम० डी० अदकर, अजाज मकबूल, बी०के० मिश्रा, आर० जगन्नाथ गोले, टी०सी० शर्मा, पी०एच० पारिख, यू० सागर, पी० कोहली, आर० मोहन, आर० नेदूमारन, पी०बी० राव, रंजीत कुमार, एच०के० पुरी, पी०एन० रामलिंगम, वी० बालाजी, ए०टी० एम० सम्पथ, एल०आर० सिंह, विकास चंद्र, युनुस मलिक, के० वी० विश्वनाथन, के० वी० मोहन, एल० सेल्वारतनम्, एम० वीरप्पा, एस०के० कुलकर्णी, नोबिन सिंह, एस० शशि प्रभू, ए० जयराम, एम०के० दुआ, पी०आर० सीथारमन, पवन, रतिन दास, एम० ए० फिरोज, ई०एम०एस० अनाम, पी० परमेश्वरन, अरुण के० शर्मा और बी०के० प्रसाद

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एस० रत्नवेल पांडियन ने दिया।

न्या० पांडियन—यह मामले प्राइवेट वृत्तिक विद्यालयों में फीस के स्वरूप के संबंध में आदेशों के लिए और अन्य समुचित आदेशों के लिए, तारीख 4 अक्तूबर और 5 अक्तूबर, 1993 को हमारे समक्ष रखे गए थे। हमने भारत संघ की ओर से हाजिर हुए विद्वान महा-सालिसिटर, कर्नाटक राज्य की ओर से विद्वान महाधिवक्ता और अन्य राज्यों की ओर से हाजिर हुए विद्वान काउंसेल को सुना है। प्राइवेट वृत्तिक विद्यालयों में छात्रों के अभी तक (अक्तूबर के प्रथम सप्ताह) प्रवेश न किए जाने के तथ्य को देखते हुए, हमने भारत संघ की ओर से और, राज्यों और प्राइवेट पक्षकारों की ओर से विद्वान काउंसेलों को हमें वह मार्ग (तरीका) बताने को कहा, जिसमें वर्तमान गतिरोध को सुलझाया जा सके। हमने काउंसेल को यह बताया कि प्राइवेट वृत्तिक विद्यालयों के प्रबंध मण्डलों के इनकार या उस विषय में उनकी मांग कि उन्हें, अपनी इच्छा के 50 प्रतिशत छात्रों को प्रवेश देने को अनुज्ञप्त किया जाना चाहिए, को स्वीकार (माना) नहीं किया जा सकता और माना नहीं जाएगा। हमने यह स्पष्ट किया था कि कोई युक्तियुक्त मार्ग निकालने में पक्षकारों की असफलता की दशा में यह न्यायालय, **जे० पी० उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को लागू करने के लिए प्रपीड़क (कठोर) अध्युपायों को अंगीकृत करने और इस निमित्त अन्य आदेशों को करने को बाध्य होगा।

2. भारत संघ की ओर से हाजिर हुए विद्वान महासालिसिटर ने दलील दी कि उन्नीकृष्णन वाले मामले में निर्णय के अनुसरण में, केन्द्रीय-सरकार, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद् और अन्य समान निकायों ने फीस संरचना का अवधारण करने के लिए तुरंत कार्रवाई आरंभ की है। उन्होंने, भारतीय आयु-

---

[1] (1993) 1 एस० सी० सी० 645.

विज्ञान परिषद् की उप-समिति की तारीख 12 अप्रैल, 1993 को आयोजित बैठक की कार्यवाहियों और अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद् (ए०आई०सी०आई०ई०) की ओर से फाइल किए गए शपथपत्र को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। आई०एम०सी० की उप-समिति के कार्यवृत्त का प्रभावी भाग निम्न प्रकार है—

"समस्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए समिति ने सिफारिश की कि निम्न फीस संरचना पर विचार किया जा सकता है :

अपने स्वयं के अस्पताल रखने वाली संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले भारतीय छात्र से 80,000 रु० से 1,00,000 रु० प्रति वर्ष प्रति छात्र।

सरकारी और इसी भांति अपने स्वयं के अस्पतालों, दोनों की सुविधाओं का उपयोग करने वाली संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले छात्रों से 60,000 रु० से 80,000रु० प्रति वर्ष प्रति छात्र। सरकारी अस्पतालों द्वारा उपबंध की गई सुविधाओं का पूर्णतया उपयोग करने वाली संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले छात्रों से 40,000 रु० से 60,000 रु०। अनिवासी भारतीयों से संपूर्ण पाठ्यक्रम के लिए प्रभारित फीस 50,000 है।"

3. जहां तक इंजीनियरिंग विद्यालयों का संबंध है, विद्वान महासालिसिटर ने उल्लिखित किया कि यद्यपि ए०आई०सी०आई०ई० ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, यह शीघ्र ही, विभिन्न राज्यों के लिए शैक्षिक वर्ष 1994-95 से प्रभावी युक्तियुक्त और एक सी फीस संरचना विहित करते हुए विनियमों को जारी करेगा। उन्होंने यह उल्लिखित किया कि जबकि संदाय स्थानों के लिए मध्य प्रदेश में नियत फीस 37,000 रु० है और कर्नाटक राज्य में यह 20,000 रु० है, अन्य राज्यों में संदाय स्थानों के लिए यह राशि इन दो राशियों के बीच विनिर्दिष्ट की गई है। उन्होंने दलील दी कि इस वर्ष के लिए यह न्यायालय, केन्द्रीय सरकार और/या समुचित परिषद्/प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से नियतन किए जाने के अनुसार समायोजित किए जाने वाली प्रायोगिक फीस नियत कर सकता है। विद्वान महासालिसिटर ने हमें यह आश्वासन दिया कि केन्द्रीय सरकार उन्नीकृष्णन् वाले मामले में दिए गए निर्णय के पूर्ण क्रियान्वयन के प्रति पूर्णतया कृत संकल्प है और उक्त निर्णय के क्रियान्वयन के लिए इस न्यायालय द्वारा उठाए गए किन्हीं कदमों को भारत संघ का बिना शर्त समर्थन मिलेगा।

4. कर्नाटक राज्य के विद्वान महाधिवक्ता ने दलील दी कि कर्नाटक-सरकार ने उन्नीकृष्णन् वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए तुरन्त कदम उठाए हैं, यह कि निःशुल्क स्थानों की सूची पहले ही संप्रकाशित की जा चुकी है यद्यपि संदाय स्थानों की सूची, कतिपय सुसंगत विशिष्टियों की कमी (के अभाव) के कारण अभी तक संसूचित नहीं की जा सकी है। उन्होंने कथन किया कि राज्य-सरकार ने इस न्यायालय के तारीख 18 अगस्त, 1993 के आदेश के अनुसरण में फीस संरचना को संशोधित (पुनरीक्षित) किया है। उन्होंने हमारे ध्यान में प्रबंध मण्डलों के इस वर्तमान आधार को लाया कि जब तक उन्हें अपनी रूचि के अनुसार छात्रों के 50 प्रतिशत को प्रवेश देने को अनुज्ञप्त नहीं किया जाता, वे वृत्तिक विद्यालयों को नहीं खोलेंगे और यह कि वे उन्हें बन्द करना उचित समझते हैं। उन्होंने हमारे ध्यान में 1993 की रिट याचिका (सिविल) सं०

663 में कर्नाटक सरकार द्वारा इस बाबत फाइल किए गए शपथपत्र को लाया कि कर्नाटक राज्य में सभी प्राइवेट शैक्षिक संस्थाओं को उनके विद्यालयों को आबंटित किए गए छात्रों को ऐसी शर्तों पर प्रवेश देने का निदेश दें, जो कि इस न्यायालय द्वारा उचित समझी जाएं। विद्वान महाधिवक्ता ने हमें यह आश्वासन दिया कि कर्नाटक राज्य उक्त निर्णय को लागू करने को सांविधानिक रूप से आबद्ध है और इस निमित्त सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

5. तमिलनाडु राज्य की ओर से विद्वान काउंसेल श्री पी०आर० सीथारमन् ने कथन किया कि तमिलनाडु सरकार ने तब से प्राइवेट आयुर्विज्ञान विद्यालयों में प्रभार्य फीस को पुनरीक्षित किया है और इसे रु० 1,58,000/- प्रतिवर्ष पर नियत किया है। उन्होंने अन्य विद्यालयों के लिए फीस संरचना को हमारे ध्यान में लाया जो हम यहां उल्लेख करेंगे।

6. महाराष्ट्र राज्य की ओर से हाजिर हुए विद्वान काउंसेल ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा तैयार की गई फीस संरचना के प्रति हमारा ध्यान आकर्षित किया है।

7. श्री के० पारासरन ने कुछ प्राइवेट प्रबंध मण्डलों की ओर से हाजिर होते हुए दलील दी कि इस देश का कोई नागरिक इस न्यायालय के निर्णय को कार्यान्वित करने से इनकार नहीं किया जा सकता और यह कि कुछ प्राइवेट प्रबंध मण्डलों के रास्ते में वास्तविक कठिनाई यह थी कर्नाटक राज्य और तमिलनाडु राज्य की सरकारों द्वारा नियत की गई फीस, अव्यवहार्य और अपर्याप्त थी। काउंसेल ने दलील दी कि उक्त फीस के साथ विद्यालयों को चलाना संभव नहीं था। उन्होंने प्रवेश देने में विलंब के लिए, उन्नीकृष्णन वाले मामले में स्कीम में अंतर्विष्ट अनेक निदेशों का अनुपालन करने में संबंधित सरकारों द्वारा निष्क्रियता और विलंब करने को जिम्मेदार ठहराया।

8. श्री संतोष हेगडे और गोविन्द मुखौटी ने अल्पसंख्यक संस्थाओं और गैर-अल्पसंख्यक संस्थाओं के मध्य विभेदकारी व्यवहार की शिकायत की। फीस संरचना की बाबत परिवाद करते समय, उन्होंने अल्पसंख्यक संस्थाओं (तारीख 18 अगस्त, 1993 के आदेश में अंतर्निहित) के प्रति तथाकथित विभेदकारी व्यवहार के विरुद्ध अपना रोष केंद्रित किया है जिसने, विद्वान काउंसेल के अनुसार गैर-अल्पसंख्यक वृत्तिक विद्यालय के प्रबंध-मण्डलों के मध्य बहुत रोष (दिल-जलाना) उत्पन्न किया है। उन्होंने दलील दी कि कर्नाटक सरकार ने आरंभिक रूप से फीस संरचना नियत की, जो बेतुकी थी और यह कि इस न्यायालय के आदेशों के पश्चात् भी, तैयार की गई फीस संरचना, प्राइवेट विद्यालयों को चलाने के लिए पूर्णतया अयथोचित और अपर्याप्त है।

9. आई०एम०सी० की उप-समिति ने आयुर्विज्ञान विद्यालयों को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया है, जैसा कि यहां ऊपर उत्कथित अंतिम सिफारिश से प्रकट होता है। कर्नाटक सरकार ने भी इस प्रवर्गीकरण को अंगीकृत किया है। किंतु फीस को एक प्रतिलोम रीति में नियत किया है। दूसरे शब्दों में, जबकि आई०एम०सी० की उप-समिति ने उन आयुर्विज्ञान विद्यालयों के लिए, जिनके पास स्वयं की अस्पताल सुविधा है, उच्चतर फीस की और उनके लिए जो कि सरकारी अस्पताल सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं, कम फीस की सिफारिश की है। कर्नाटक सरकार ने उन आयुर्विज्ञान-विद्यालयों के लिए उच्चतर फीस नियत की है जिनके पास अपनी स्वयं की आयुर्विज्ञान सुविधा नहीं है, और इसलिए, सरकारी आयुर्विज्ञान सुविधा का

उपयोग कर रहे हैं और उन आयुर्विज्ञान विद्यालयों के लिए कम फीस नियत की है, जिनके पास अपनी स्वयं की अस्पताल सुविधा है ।

10. विद्वान महासालिसिटर ने स्पष्ट किया कि आई० एम० सी० की उप-समिति द्वारा सिफारिश की गई फीस संरचना, प्रति स्थान एकरूपात्मक है और मात्र संदाय स्थानों के लिए नहीं है जैसाकि उन्नीकृष्णन् वाले मामले में समझा गया । हमने उनके कथन को अभिलिखित किया और उस आधार पर कार्रवाई की । विद्वान महासालिसिटर ने हमारे ध्यान में इस बात को लाया कि दंत विद्यालयों के लिए, भारतीय दंत परिषद् ने उन्नीकृष्णन् वाले मामले को देखते हुए (की दृष्टि में) संदाय स्थानों के लिए निम्न फीस संरचना नियत की है—

> "दंत विद्यालय, जो किसी आयुर्विज्ञान विद्यालय और अस्पताल या डी० सी० आई० शर्तों की अध्यपेक्षाओं को संतुष्ट करने वाले अस्पताल की सुविधाओं का उपयोग करता है, में अध्ययन कर रहे निवासी भारतीय छात्रों के लिए रु० 1,00,000/- की वार्षिक फीस ।
>
> दंत विद्यालय, जो किसी आयुर्विज्ञान विद्यालय अस्पताल की सुविधाओं का उपयोग नहीं कर सकता, बल्कि जिसे डी०सी०आई० शर्तों द्वारा तय की गई अध्यपेक्षाओं को पूरा करते हुए अपना स्वयं का अस्पताल चलाना है, में अध्ययन कर रहे निवासी भारतीय छात्रों के लिए रु० 1,20,000/- की वार्षिक फीस ।"

11. अब, हम कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई फीस संरचना का वर्णन कर सकते हैं ।

कर्नाटक

आयुर्विज्ञान विद्यालय : अपनी स्वयं की अस्पताल सुविधा रखने वाले आयुर्विज्ञान विद्यालयों के लिए 65,000/- रु० प्रति वर्ष । उन आयुर्विज्ञान विद्यालयों, जो भागतः अपनी स्वयं की अस्पताल सुविधा का उपयोग कर रहे हैं और भागतः सरकारी अस्पताल सुविधा का उपयोग कर रहे हैं, उनके लिए 75,000/- रु० प्रति वर्ष । उन आयुर्विज्ञान विद्यालयों, को अपनी स्वयं की अस्पताल सुविधा नहीं रखते हैं, के लिए 85,000/- रु० प्रति वर्ष । निःशुल्क स्थानों के लिए 8,000/- रु० प्रति वर्ष ।

दंत विद्यालय : अपनी स्वयं की अस्पताल सुविधा रखने वाले आयुर्विज्ञान विद्यालयों के लिए 40,000/- रु० प्रति वर्ष और उन विद्यालयों के लिए 50,000/- रु० जो अपनी स्वयं की अस्पताल सुविधा नहीं रखते हैं और इसलिए, सरकारी अस्पताल सुविधा का उपयोग करते हैं । निःशुल्क स्थानों के लिए 8,000/ रु० प्रति वर्ष ।

इंजीनियरिंग विद्यालय : संदाय स्थानों के लिए एक रूप ढंग से 25,000/- रु० प्रति वर्ष । निःशुल्क स्थानों के लिए 4,000/- रु० प्रति वर्ष ।

परिचर्या विद्यालय : संदाय स्थानों के लिए एक रूप ढंग से 15,000/- रु० प्रति वर्ष ।

12. विद्वान महाधिवक्ता ने कथन किया कि पूर्वोक्त फीस संरचना को तय करते समय, सरकार ने पूंजी लागत (कैपीटल कोस्ट) को विचार में नहीं लिया है । विद्वान महा-

धिवक्ता के कथनानुसार नियतीकरण के लिए आधार, सरकार द्वारा सरकारी आयुर्विज्ञान विद्यालय बंगलौर में प्रत्येक छात्र पर उपगत किया गया व्यय है।

13. श्री संतोष हेगड़े ने कतिपय प्राइवेट प्रबंध-मण्डलों की ओर से हाजिर होते हुए हमारे ध्यान में यह बात लायी कि जहां कर्नाटक-सरकार द्वारा किसी आयुर्विज्ञान विद्यालय को सरकारी अस्पताल की सुविधाओं का लाभ उठाने को अनुज्ञप्त किया गया है, वहां विद्यालयों को उसके लिए संदाय करना होता है और उन्हें कुछ अन्य बातों के लिए भी उपबंध करना होता है। तथापि, यह पहलू हमारे समक्ष विवाद्यक में नहीं रखा गया है और इसलिए, उस पर हम कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं।

14. तमिलनाडु : आयुर्विज्ञान विद्यालय—1,58,000/- रु० प्रतिवर्ष (आयुर्विज्ञान विद्यालयों के बीच कोई प्रवर्गीकरण नहीं किया गया है)।

इंजीनियरिंग विद्यालय : संदाय स्थानों के लिए 32,000/- रु० प्रति वर्ष और निःशुल्क स्थानों के लिए 6,000/- रु० प्रति वर्ष।

दंत विद्यालय : संदाय स्थानों के लिए 95,000/- रु० प्रति वर्ष और निःशुल्क स्थानों के लिए 5,000/- रु० प्रति वर्ष।

15. विद्वान काउंसेल ने कथन किया कि उक्त फीस संरचना को नियत करने में सरकार ने पूंजी और इसी भांति आवर्ती खर्चों दोनों को विचार में लिया था।

महाराष्ट्र :

आयुर्विज्ञान विद्यालय : संदाय स्थानों के लिए 1,71,500/- रु० प्रति वर्ष और निःशुल्क स्थानों के लिए 4,950/- रु० प्रति वर्ष।

(कोई प्रवर्गीकरण नहीं किया गया है)

दंत विद्यालय : संदाय स्थानों के लिए 1,30,000/- रु० प्रति वर्ष और निःशुल्क स्थानों के लिए 3,450/- रु० प्रति वर्ष।

बी०ए० एम० एस० (आयुर्वेद) : अपनी स्वयं की अस्पताल सुविधा रखने वाले विद्यालयों के लिए 1,10,000/- रु० प्रति वर्ष और अपनी स्वयं की अस्पताल सुविधा न रखने वाले विद्यालयों के लिए 90,000/- रु० प्रति वर्ष। निःशुल्क स्थानों के लिए 2,700/- रु० प्रति वर्ष।

बी० एच० एम० एस० (होमियोपैथिक) : अपनी स्वयं की अस्पताल सुविधा रखने वाले विद्यालयों के लिए 30,000/- रु० प्रति वर्ष। अपनी स्वयं की अस्पताल सुविधा न रखने वाले और इसलिए सरकारी सुविधा पर निर्भर करने वाले विद्यालयों के लिए 22,000/- रु० प्रति वर्ष। निःशुल्क स्थानों के लिए 2,000/- रु० प्रति वर्ष।

बी० यू० एम० एस० (यूनानी) : अपनी स्वयं की अस्पताल सुविधा रखने वाले आयुर्विज्ञान विद्यालयों के लिए 40,000/- रु० प्रति वर्ष और अपनी स्वयं की अस्पताल सुविधा न रखने वाले और इसलिए सरकारी सुविधा पर निर्भर करने वाले विद्यालयों के लिए 23,000/- रु० प्रति वर्ष। निःशुल्क स्थानों के लिए 2,700/- रु० प्रति वर्ष।

इंजीनियरिंग विद्यालय : संदाय स्थानों के लिए 32,000/- रु० प्रति वर्ष । निःशुल्क स्थानों के लिए 4,000/- रु० प्रति वर्ष ।

17. हमारे समक्ष यह कथन किया गया है कि आंध्र प्रदेश में फीस संरचना केवल इंजीनियरिंग विद्यालयों के लिए तैयार की गई है न कि आयुर्विज्ञान विद्यालय के लिए । (यह कथन किया गया है कि राज्य में केवल एक प्राइवेट आयुर्विज्ञान विद्यालय है) । इंजीनियरिंग विद्यालय में संदाय स्थानों के लिए नियत फीस 26,000/- रु० प्रति वर्ष है और निःशुल्क स्थानों के लिए 4,000/- रु० प्रति वर्ष है ।

18. केरल राज्य में अपनाई गई पद्धति उससे पूर्णतया भिन्न प्रतीत होती है जो दुर्भाग्यवश तारीख 18 अगस्त, 1993 को हमारे ध्यान में नहीं लाई गई थी । राज्य में केवल दो प्राइवेट इंजीनियरिंग विद्यालय हैं, जो अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाएं कहे जाते हैं । इस राज्य में प्रचलित पद्धति यह प्रतीत होती है कि इन प्राइवेट इंजीनियरिंग विद्यालयों द्वारा एकत्रित की गई संपूर्ण फीस सरकार को दी जानी चाहिए जबकि सरकार विद्यालयों को चलाने के लिए संपूर्ण खर्च का वहन करती है । इस पद्धति के अधीन, विद्यालयों को 15 प्रतिशत की सीमा तक अपनी रुचि के छात्रों को प्रवेश देने को अनुज्ञप्त किया गया था ।

19. ऊपर कथन की गई विशिष्टियों से यह प्रतीत होता है कि अकेले केरल राज्य में तैयार की गई फीस संरचना की तमिलनाडु और महाराष्ट्र राज्यों की फीस संरचना की तुलना में एक निम्न स्तर पर है । ऐसी परिस्थितियों में, हम सभी राज्यों में इन विद्यालयों के लिए फीस नियत करने को अनन्तिम रूप से आनत हैं । यह स्पष्ट किया जाता है कि हमारे द्वारा यहां इसमें नियत की गई फीस, प्रकृति में केवल अस्थायी और अनन्तिम है और केन्द्रीय सरकार और/या समुचित केन्द्रीय निकाय जैसा कि मामला हो, द्वारा तैयार की गई फीस संरचना के अनुसार समायोजित किए जाने को दायी है । हमारे द्वारा नियत की गई रूपरेखा कोई उपदर्शन नहीं है और किसी सरकार द्वारा या प्राधिकारी द्वारा नियमित आधार पर फीस संरचना नियत करने में ऐसी नहीं समझी जायगी ।

20. अब विदेशी छात्रों का प्रश्न शेष रहता है । विद्वान महाधिवक्ता ने हमारे ध्यान में इस बात को लाया है कि भारत सरकार ने देश में प्राइवेट आयुर्विज्ञान विद्यालयों को प्रत्येक वर्ष की अपनी प्रवेश देने की क्षमता के 30 प्रतिशत तक विदेशी छात्रों को प्रवेश देने को अनुज्ञप्त किया था और उक्त सीमा, वर्ष 1991 में 50 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई थी । उन्होंने दलील दी कि अधिकतर विदेशी छात्र मलेशिया से हैं और भारत सरकार और मलेशिया सरकार के मध्य इस बाबत एक राय थी कि मलेशिया से काफी बड़ी संख्या में छात्र लगभग 40 से 50,000/- अमरीकी डालरों के संदाय पर, भारत में प्राइवेट आयुर्विज्ञान विद्यालयों में प्रवेश दिए जाएंगे । यह कथन किया गया है कि अधिकतर छात्र, डा० टी० एम० ए० पई फाउंडेशन द्वारा मनीपाल और मैंगलोर में चलाए जा रहे विद्यालयों को वरीयता (अधिमान) देते हैं और प्रवेश दिए जाते हैं । उनमें से कुछ बैंगलोर और बेलगाम स्थित विद्यालयों में भी प्रवेश दिए जाते हैं । उन्होंने दलील दी कि जबकि, दोनों सरकारों के मध्य ऐसा कोई करार नहीं है, यह भारत सरकार द्वारा मलेशिया सरकार को दिया गया एक आश्वासन था । उन्होंने दलील दी कि चालू वर्ष (शैक्षिक सत्र 1993-94) के लिए, यथास्थिति बनाई जा सकती है, जिससे यह अभिप्रेत है कि आयुर्विज्ञान विद्यालयों की प्रवेश देने

की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक स्थानों को विदेशी छात्रों को प्रवेश देने के द्वारा भरे जाने को अनुज्ञप्त किया जा सकता है । उन्होंने यह दलील दी कि शैक्षिक सत्र 1994-95 तक सरकार इस निमित्त एक निश्चित और स्पष्ट नीति तैयार कर लेगी । उन्होंने हमारे ध्यान में सुश्री शैलजा चंद्र द्वारा फाइल किए गए शपथपत्र के पैरा 9 की ओर आकर्षित किया, जो निम्न प्रकार है—

> "इसलिए केन्द्रीय सरकार यह निवेदन करती है कि चालू शैक्षिक सत्र 1993-94 के लिए, स्पष्ट रूप से तदर्थ आधार पर स्थानों के 50 प्रतिशत को विदेशी छात्रों, विशेष रूप से मलेशियनों द्वारा भरे जाने को अनुज्ञप्त किया जा सकता है । यह सभी मान्यताप्राप्त प्राइवेट आयुर्विज्ञान विद्यालयों को सम्मिलित करेगा और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त स्थानों की संख्या को लागू होगा । केन्द्रीय सरकार, नीति को बनाने के लिए संपूर्ण विषय की नए सिरे से परीक्षा करेगी, जो अगले शैक्षिक सत्र 1994-95 से पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर माननीय न्यायालय के समक्ष रखे जाने पर लागू होगी ।"

21. परिस्थितियां और कारण चाहे जो कुछ भी रहे हों जिनके लिए भारत सरकार ने प्राइवेट आयुर्विज्ञान विद्यालयों को पूर्वोक्त सीमा तक विदेशी छात्रों को प्रवेश देने को अनुज्ञप्त किया था, यह स्पष्ट है कि उक्त अनुज्ञा या व्यवस्था प्रवर्तनीय नहीं है और उन्नीकृष्णन् वाले मामले में निर्णय को देखते हुए शैक्षिक सत्र 1993-94 से लागू नहीं की जा सकती । स्वीकृततः, स्वयं देश के भीतर इन स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यकता है और यह वे हैं जिन्हें इन विद्यालयों में प्रवेश के मामले में अग्रता होनी चाहिए ।

22. डा० टी० एम० ए० पई फाउंडेशन और अन्य द्वारा फाइल की गई 1993 की रिट याचिका (सिविल) सं० 317 में याची की ओर से हाजिर हुए विद्वान काउंसेल श्री साल्वे ने दलील दी कि कस्तूरबा-आयुर्विज्ञान विद्यालय (कस्तूरबा मैडिकल कालेज) मैंगलोर का एक भाग और उनके मणिपाल स्थित आयुर्विज्ञान विद्यालय, धारणाकृत विश्वविद्यालय के अनिवार्य अंग हो गए हैं और याचियों ने पहले ही उक्त सीमा तक याचिका को वापस ले लिया है । उन्होंने बताया कि के० एम० सी० विद्यालय (कालेज), मैंगलोर में केवल 125 स्थान, वर्तमान रिट याचिका की विषयवस्तु हैं । (उन्होंने दलील दी कि इस विद्यालय की कुल प्रवेश क्षमता 300 थी, जो बाद में कम करके 250 कर दी गई थी और उनमें से केवल 125 स्थान वर्तमान रिट याचिका की विषयवस्तु है । तथापि, कर्नाटक राज्य के विद्वान महाधिवक्ता के अनुसार उन्हें इस बाबत कोई अनुदेश या सूचना नहीं है और यह कि उनकी सूचना के अनुसार विद्यालय में मंजूर की गई संख्या 300 है, जिसका यह अर्थ है कि यह रिट याचिका अब 150 स्थानों से संबंधित है । हम इस पहलू पर कोई मत अभिव्यक्त करना नहीं चाहते) । श्री साल्वे के कथनानुसार याचियों को इन 125 स्थानों में से 81 स्थान, मलेशिया से विदेशी छात्रों को प्रवेश देने के द्वारा भरे जाने को अनुज्ञात किए जा सकते हैं क्योंकि याची उक्त 81 छात्रों से पहले ही फीस प्राप्त कर चुका है और उनसे इस (वर्तमान) शैक्षिक सत्र के लिए उन्हें प्रवेश प्रदान करने का वायदा किया है । उन्होंने दलील दी है कि उक्त छात्रों से फीस का प्राप्त किया जाना और वायदा किया जाना, इस न्यायालय द्वारा उन्नीकृष्णन् वाले मामले में तारीख 4 फरवरी, 1993 को दिए गए विनिश्चय के पूर्व किया गया था उन्होंने स्वीकार किया कि भारत सरकार या कर्नाटक सरकार में से किसी के

भी द्वारा, विद्यालय को अग्रिम तौर पर फीस लेने या विदेशी छात्रों से उन्हें शैक्षिक सत्र के काफी पहले प्रवेश देने का वायदा करने में से किसी के लिए भी कोई अनुज्ञा या प्राधिकरण नहीं दिया गया था। विद्वान काउंसेल ने हमारे ध्यान में कुछ कार्यवाहियों को लाया, जो शैक्षिक सत्र 1993-94 से संबंधित नहीं है। विद्वान काउंसेल ने इस देश में सभी प्राइवेट आयुर्विज्ञान विद्यालयों को अपनी प्रवेश क्षमता की 50 प्रतिशत सीमा तक छात्रों को प्रवेश देने के लिए दिए गए सामान्य प्राधिकार पर भी अवलम्ब लिया और दलील दी कि याची के फीस लेने के सद्भावी कृत्य और मलेशिया से विदेशी छात्रों को प्रवेश देने का वायदा करने को देखते हुए, उन्हें वर्तमान शैक्षिक सत्र के लिए विशेष मामले के रूप में कम से कम 81 छात्रों को प्रवेश देने को अनुज्ञप्त किया जा सकता है। श्री साल्वे ने दलील दी कि यदि याची को फीस को लौटाने को कहा जाता है (जो वे करने को आबद्ध हैं यदि वे उन छात्रों को प्रवेश देने को समर्थ नहीं हैं) तो उसका प्रभाव, इस तथ्य को देखते हुए अत्यन्त गहरा हो सकता है कि विनिमय दर तब से बढ़ गई है जब उक्त छात्रों से राशि ली गई थी।

23. इस पहलू पर, कर्नाटक राज्य के विद्वान महाधिवक्ता ने हमारे ध्यान में इस बात को लाया है कि जब याची को रिट याचिका भागतः वापस लेने को अनुज्ञप्त किया गया था, तब इस न्यायालय ने तारीख 22 सितम्बर, 1993 को याची के विद्वान काउंसेल की सहमति से एक आदेश किया था कि इस रिट याचिका में संबंधित स्थान, वर्तमान में, तारीख 18 अगस्त, 1993 के आदेश के अनुसार भरे जाएंगे। उन्होंने कथन किया कि सहमति के साथ उक्त आदेश प्राप्त करने पर, याची अब उक्त आदेश के पुनर्विलोकन के लिए नहीं कह सकता।

24. हमारा यह मत है कि विद्वान महाधिवक्ता द्वारा उठायी गई आपत्ति पूर्ण रूप से विधिसम्मत है और उसे कार्य रूप दिया जाना चाहिए। इस संबंध में कोई कारण नहीं था कि याची ने विदेशी छात्रों से फरवरी, 1993 से भी पूर्व, उनको शैक्षिक सत्र 1993-94 (माह जुलाई/अगस्त, 1993 में किसी समय आरम्भ हुए) के लिए प्रवेश देने का वायदा करते हुए उनसे फीस क्यों प्राप्त की थी। वास्तव में, याची द्वारा प्रस्तुत की गई विशिष्टियों के अनुसार, उसने छात्रों से उनको प्रवेश देने का वायदा करते हुए न केवल शैक्षिक सत्र 1993-94 अपितु 1994-95 के लिए भी फीस की राशियां प्राप्त की थीं। हम इस कृत्य के लिए कोई न्यायोचित्य नहीं पाते हैं और यदि याची ऐसे कृत्य के कारण अपने हित के प्रतिकूल किसी बात को भोगता है, तो उसे उसके लिए स्वयं को उत्तरदायी ठहराना चाहिए। इसलिए, हम 1993 की रिट याचिका सं० 317 में याची के मामले में कोई विशेष आदेश पारित करने को आनत नहीं हैं।

25. तब यह प्रश्न शेष रहता है कि 50 प्रतिशत की सीमा तक विदेशी छात्रों को प्रवेश देने को अनुज्ञप्त करने वाले ऊपरनिर्दिष्ट किए गए भारत सरकार के आदेशों को देखते हुए—क्या इस वर्ष के लिए—चूंकि यह संक्रमण और समायोजन का वर्ष है—विदेशी छात्रों के लिए कोई कोटा आरक्षित किया जाना है। सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और पहले ही व्यतीत हो चुके, समय और समय के दबाव को देखते हुए, हमारा यह मत है कि प्राइवेट वृत्तिक (व्यावसायिक) विद्यालयों को इस वर्ष के लिए प्रवेश देने की क्षमता के 15 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक प्रवासी भारतीयों और विदेशी छात्रों को

प्रवेश देने को अनुज्ञात करना उचित होगा। दूसरे शब्दों में, 1993 की पुनर्विलोकन याचिकाओं इत्यादि में तारीख 14 मई, 1993 के आदेश में प्रवासी भारतीयों के लिए किया गया 5 प्रतिशत की सीमा का उपबंध, 15 प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाएगा और प्रवासी भारतीयों और इसी भांति विदेशी छात्रों दोनों को उपलब्ध होगा। इन प्रवासी भारतीयों और विदेशी छात्रों के चयन और प्रवेश के लिए आधार वही होंगे जैसे कि पुनर्विलोकन याचिका संख्याओं 482/93 इत्यादि में तारीख 14 मई, 1993 के हमारे आदेश में इंगित किए गए हैं। तथापि, यदि प्रवासी भारतीय/विदेशी छात्र उनके लिए तात्पर्यित उक्त सभी 15 प्रतिशत स्थानों को भरने के लिए उपलब्ध नहीं है तो, प्रबंधमण्डल को उक्त कोटा के अंतर्गत अन्य छात्रों को प्रवेश देने की स्वतंत्रता होगी। यह आवश्यक नहीं होगा कि उक्त 15 प्रतिशत कोटा के अंतर्गत प्रवेश दिए गए छात्र, सरकार द्वारा आरक्षित (आबंटित) होने चाहिए या उन्होंने संबंधित सरकार या प्राधिकारी द्वारा आयोजित की गई संयुक्त प्रवेश परीक्षा, यदि कोई हो, को दिया हो। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह विशेष उपबंध केवल इस वर्ष के लिए बनाया गया है जोकि संक्रमण का वर्ष है।

26. कर्नाटक राज्य के विद्वान महाधिवक्ता ने दलील दी कि इन विद्यालयों द्वारा ली जाने वाली अनंतिम फीस का अवधारण करते समय, इस न्यायालय को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उन्हें प्रवासी-भारतीयों और विदेशी छात्रों को पूर्वोक्त सीमा तक प्रवेश देने को अनुज्ञात किया गया है। हम सहमत हैं कि विद्वान महाधिवक्ता द्वारा दी गई दलील सुसंगत है किंतु इस प्रक्रम पर इसका अधिक महत्व नहीं है चूंकि हमारे द्वारा किया गया अवधारण समायोजन के अध्यधीन, केवल प्रायोगिक और अनंतिम है जब भारत सरकार या संबंधित सर्वोच्च वृत्तिक-परिषद्, नियमित आधार पर फीस संरचना को नियत करती है।

27. पूर्वोक्त परिस्थितियों में, हम संदाय स्थानों के लिए संदेय अनंतिम फीस का अवधारण निम्न रीति में करते हैं।

28. आयुर्विज्ञान विद्यालयों को संदाय छात्रों द्वारा संदेय फीस को नियत करने के प्रयोजन के लिए तीन वर्गों में प्रवर्गीकृत किया जाएगा। प्रवर्ग (1) में वे आयुर्विज्ञान विद्यालय आएंगे जो अपनी स्वयं की अस्पताल सुविधा रखते हैं। प्रवर्ग (2) में वे आयुर्विज्ञान विद्यालय आएंगे जो भागतः सरकारी अस्पतालों और भागतः अपने स्वयं के अस्पतालों की सुविधाओं का उपयोग करते हैं और प्रवर्ग (3) में वे आयुर्विज्ञान विद्यालय आएंगे जो अपनी स्वयं की अस्पताल सुविधा नहीं रखते अपितु छात्रों के प्रशिक्षण के लिए पूर्ण रूप से सरकारी अस्पताल पर आश्रित होते हैं।

29. प्रवर्ग (1) के लिए, हम संदेय फीस का 1,40,000 रु० प्रति वर्ष अवधारण करते हैं, प्रवर्ग (2) के लिए 1,20,000 रुपए प्रति वर्ष और प्रवर्ग (3) के लिए 1,00,000 रुपए प्रति वर्ष अवधारण करते हैं।

30. दंत विद्यालयों के लिए 1,00,000 रुपए प्रति वर्ष की फीस उनके लिए होगी, जो अपनी स्वयं की अस्पताल सुविधा रखते हैं और 90,000 रुपये प्रति वर्ष उन विद्यालयों के लिए होगी जो सरकारी अस्पताल सुविधा का उपयोग कर रहे हैं।

31. परिचर्या विद्यालयों और बी० ए० एम० एस०, बी० एच० एम० एस० और बी० यू० एम० एस० की शिक्षा देने वाले विद्यालयों के मामले में, समुचित-राज्य सरकार

1993(10) eILR(PAT) SC 618

द्वारा क्रमिक रूप से नियत की गई फीस, भारत सरकार/समुचित सर्वोच्च वृत्तिक परिषद् द्वारा नियमित नियतन पर समायोजन,के अध्यधीन अनुसरण और प्रवर्तन की जाएगी। जहां तक इंजीनियरिंग विद्यालयों का संबंध है, हमारे द्वारा इस वर्ष के लिए अनंतिम रूप से कोई फीस नियत करने की आवश्यकता नहीं है। संबंधित राज्य सरकार द्वारा नियत की गई फीस प्रवर्तित होगी और ऊपर कथन किए गए अंतिम नियतन के अध्यधीन होगी।

33. प्रथमदृष्टया यह प्रतीत होता है कि हमारे द्वारा नियत की गई फीस नितांत उच्च है, किंतु यह वास्तव में सही नहीं है। प्रथमतया, यह केंद्रीय सरकार और/या संबंधित केन्द्रीय परिषदों द्वारा फीस संरचना के नियमित अवधारण पर समायोजन के अध्यधीन केवल एक अनन्तिम नियतन है। दूसरे, संदाय स्थान केवल आधे हैं और यह वे हैं जिन्हें विद्यालय द्वारा उपगत किए गए खर्च के संपूर्ण भार को सहना है, योग्यता के आधार पर प्रवेश दिए गए निःशुल्क छात्रों द्वारा संदाय की गई फीस केवल एक नाममात्र की फीस है। इस वर्ष में संदत्त की गई कोई भी अधिकता, बाद के वर्षों में सदैव समायोजित की जा सकती है।

34. इसके अतिरिक्त यह निदेश दिया जाता है कि उन्नीकृष्णन वाले मामले में प्रतिपादित की गई स्कीम के खंड (7) में निर्दिष्ट की गई और खंड (5) द्वारा उपबंध की गई बैंक गारंटी या नकद जमा की अपेक्षा का विलोप हो जाएगा। यह विलोपन अल्पसंख्यक वृत्तिक विद्यालयों और इसी भांति 'गैर-अल्पसंख्यक' विद्यालयों दोनों के लिए प्रभावी है।

35. जहां तक 1993 की रिट याचिका संख्या 663 में कर्नाटक सरकार द्वारा फाइल किए गए शपथपत्र का संबंध है, हम प्राइवेट प्रबंध मंडलों को निदेशों की ईप्सा करते हुए इसे फाइल करने के लिए कारणों को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। निदेशों को अंतर्विष्ट करते हुए इस न्यायालय के निर्णय और आदेश पहले से ही हैं। पहले ही दिए जा चुके निदेशों को लागू करने के लिए हमें एक अन्य निदेश देने की कोई आवश्यकता दिखाई (प्रतीत) नहीं देती। हमें, शपथ-पत्र कर्नाटक सरकार की निष्क्रियता को स्पष्ट करने का प्रयास प्रतीत होता है। उन्नीकृष्णन वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय और निदेशों और पश्चात्वर्ती आदेशों—जो वास्तव में प्रति व्यक्ति फीस का वर्जन करने वाली अन्य अधिनियमितियों के साथ कर्नाटक अधिनियम द्वारा प्रेरित किए गए हैं—को लागू करने के अपने सांविधानिक कर्तव्य को करने के बजाए—प्रबंध-मंडलों को इसके द्वार आरक्षित (आबंटित) किए गए छात्रों को प्रवेश देने का नया निदेश देने की ईप्सा को स्वीकार करना कठिन है। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि प्राइवेट वृत्तिक विद्यालयों के प्रबंध-मंडल, इस न्यायालय द्वारा उन्नीकृष्णन वाले मामले में दिए गए विनिश्चय और इस निमित्त पश्चात्वर्ती और यहां इसमें जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकार द्वारा आबंटित (आरक्षित) किए गए छात्रों को प्रवेश देने को आबद्ध हैं। जहां तक केरल राज्य का संबंध है, वहां केवल दो प्राइवेट इंजीनियरिंग विद्यालय हैं जिनकी बाबत हम पृथक रूप से आदेशों को करने की प्रस्थापना करते हैं क्योंकि हम इन दोनों दिनों याचियों के विद्वान काउंसेल को सुन नहीं सके थे। 1993 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 536 पर तारीख 8-10-1993 को विद्वान न्यायमूर्ति एस० रत्नवेल पांडियन के कक्ष में अपराह्न 1.30 बजे आदेश दिए जाएंगे।

36. उन्नीकृष्णन वाले मामले और पश्चात्वर्ती आदेशों में दिए गए निदेशों और यहां इसमें दिए गए निदेशों को लागू किया जाएगा और सभी वृत्तिक विद्यालयों में निःशुल्क स्थानों और संदाय स्थानों पर तारीख 31 अक्तूबर, 1993 को या उसके पूर्व छात्रों को प्रवेश दिए जाएंगे। राज्य सरकार पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए तुरंत और प्रभावी कदम उठाएगी। केन्द्रीय सरकार यदि आवश्यक हो, संविधान के अनुच्छेद 144 को ध्यान में रखते हुए समुचित निदेशों को जारी करते हुए उसके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी। यदि, कोई वृत्तिक विद्यालय उक्त आदेशों और निदेशों का पालन करने से इंकार करता है तो, संबंधित राज्य सरकार समुचित आदेशों के लिए तुरंत ही इस न्यायालय के ध्यान में इस बात को लाएगी। संबंधित राज्य सरकार के विद्वान काउंसेल को पीठासीन न्यायाधीश, विद्वान न्यायमूर्ति एस० रत्नवेल पांडियन के समक्ष उनका उल्लेख करने की स्वतंत्रता दी जाती है।

37. तदनुसार आदेश किया जाता है।

आदेश

1. इन रिट याचिकाओं की सुनवाई के अनुक्रम के दौरान कतिपय प्रश्न सामने आए हैं, जिनका हमारे मत में एक बृहत्तर न्यायपीठ द्वारा प्राधिकृत रूप से उत्तर दिए जाने की आवश्यकता है। प्रश्न निम्न प्रकार हैं—

(1) अभिव्यक्ति, "अल्पसंख्यकों" का संविधान के अनुच्छेद 30 में क्या अर्थ और अंतर्वस्तु है ?

(2) अभिव्यक्ति "अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था" का क्या अर्थ है और क्या कोई शैक्षिक संस्था अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था है या नहीं, इस बात का अवधारण करने के लिए क्या कसौटी है ?

(3) क्या सैंट स्टीफंस वाले मामले में इस न्यायालय का यह विनिश्चय सही है कि अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था को चयन की अपनी स्वयं की रीति अंगीकृत करने के द्वारा छात्रों को प्रवेश देने की शक्ति देता है और यह कि अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था को अपनी प्रवेश देने की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक सुसंगत अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित छात्रों को ऐसी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था में छात्रों के प्रवेश को विनियमित करने की कोई शक्ति नहीं है ?

2. तीसरे प्रश्न के संबंध में, हमारे विचार में, हमें बृहत्तर न्यायपीठ के समक्ष मामला प्रस्तुत करने के लिए कारणों का संक्षेप में वर्णन करना चाहिए। "**सेंट स्टीफंस विद्यालय** बनाम **दिल्ली विश्वविद्यालय**"[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि राज्य या संबंद्धकारी विश्वविद्यालय के लिए यह अनुज्ञेय नहीं है कि यह उपबंध करे कि अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश योग्यता के आधार पर भी होने चाहिएं जो कि संयुक्त/सामान्य प्रवेश परीक्षा में अवधारित की गई

[1] (1992) 1 एस० सी० सी० 558.

1993(10) eILR(PAT) SC 618

हो और यह कि अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था को योग्यता के आधार पर सामान्य पूल से भी इसके छात्रों को लेना चाहिए। उपर्युक्त मताभिव्यक्ति की बाबत हमारी गंभीर शंकाएं हैं।

जब तक अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था को योग्यता सूची की उपेक्षा करते हुए 50 प्रतिशत की सीमा तक उक्त अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित छात्रों को प्रवेश देने को अनुज्ञप्त किया जाता है, हम ऐसा कोई कारण नहीं पाते हैं कि राज्य/संबद्धकारी विश्वविद्यालय यह शर्त क्यों नहीं रख सकते कि सामान्य छात्र और इसी भांति अल्पसंख्यक छात्र, सभी को केवल सामान्य योग्यता पूल से लिया जाना चाहिए और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को भी अन्य बातों के अलावा सामान्य/संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर अवधारित योग्यता के आधार पर प्रवेश दिया जाना चाहिए। हमारे मत में अनुच्छेद 30, किसी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था को छात्रों के चयन की अपनी स्वयं की रीति अंगीकृत करने की शक्ति से सशक्त नहीं करता है। यह संस्था के अल्पसंख्यक स्वरूप का भाग नहीं है। अपितु उक्त अध्यपेक्षा विनियम का भाग है जो कि राज्य/संबद्धकारी विश्वविद्यालय ऋजुता के हित में और स्तर को बनाए रखने के लिए विहित कर सकता है। अल्पसंख्यक संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश को रोकने वाले तारीख 24 सितम्बर, 1993 के आदेश को रद्द किया जाता है।

3. बृहत्तर न्यायपीठ के गठन के संबंध में आदेश के लिए कागजातों को विद्वान मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष रखा जाना चाहिए।

4. क्योंकि पूर्वोक्त प्रश्न शैक्षिक वर्ष 1994-95 के आरंभ होने के पूर्व स्पष्ट किए जाने चाहिए, इसलिए यह समुचित है कि जहां तक संभव हो वर्ष 1993 में ही बृहत्तर न्यायपीठ का गठन किया जाए।

रिट याचिकाओं का तदनुसार निपटारा किया गया।

अनू०

[1994] 4 उम० नि० प० 208

बिहार राज्य और अन्य

बनाम

मदन सिंह और अन्य

13 अक्तूबर, 1993

न्या० कुलदीप सिंह, न्या० के० रामस्वामी, न्या० जयचन्द्र रेड्डी

सेवा विधि—सपठित बिहार न्यायिक सेवा में (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) रिक्तियों का आरक्षण अध्यादेश, 1991—नियुक्ति—अपर जिला और सेशन न्यायाधीशों के विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन—सामान्यतः और विशेषतः उक्त अध्यादेश के उपबंधों को देखते हुए ऐसे विज्ञापित पदों से अधिक पद योग्यता सूची से नहीं भरे जा सकते जो बाद में अस्तित्व में आए हों।